निवेशकों की शिकायतों के निपटारे को स्थापित होगा अत्याधुनिक काल सेंटर

निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए कदम उठा रही सरकार

- काल सेंटर संचालन के लिए एजेंसी चयन की खातिर इन्वेस्ट यूपी ने मांगे आवेदन

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया में और तेजी लाने के लिए योगी सरकार एक अत्याधुनिक काल सेंटर स्थापित करने की तैयारी कर रही है। इस काल सेंटर के माध्यम से निवेशकों की शिकायतों का तेजी से निपटारा किया जा सकेगा। उन्हें मिलने वाले प्रोत्साहनों की अड़चनों को तेजी से दूर किया जा सकेगा। काल सेंटर के संचालन के लिए एजेंसी का चयन करने की खातिर इन्वेस्ट यूपी ने ई-निविदा के जरिये आवेदन मांगे हैं। इस काल सेंटर के माध्यम से एकल संपर्क नंबर को सुचारु किया जाएगा, जिससे कि निवेशकों के साथ नागरिकों को भी शिकायत निवारण का एक सशक्त प्लेटफ़ार्म मिलेगा।

यह काल सेंटर हफ्ते में सातों दिन सुबह 10 से शाम छह बजे तक कार्य करेगा। काल सेंटर खासतौर पर उन कंपनियों, संस्थाओं व निवेशकों के लिए अधिक उपयोगी होगा जिन्हें लेटर आफ कम्फर्ट प्राप्त हो चुका है या जो प्रभावी निवेश की स्थिति में

आर्थिक अनुदान के पात्र हैं तथा उन्हें प्रोत्साहन प्राप्त करने की प्रक्रिया में किसी प्रकार की अड़चन का सामना करना पड़ रहा है। इन्वेस्ट यूपी की ओर से दी जाने वाली सेवाओं से संबंधित इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों टेलीफोन काल्स को यह काल सेंटर संभालेगा। काल सेंटर अपनी ओर से मांगी गई जानकारी के अलावा हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतें भी स्वीकार करेगा। प्राप्त होने वाली सभी जानकारियों को एक डाटाबेस में दर्ज किया जाएगा और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए संबंधित अधिकारी को तुरंत सूचित किया जाएगा। काल सेंटर द्वारा प्राप्त सभी शिकायतों का विवरण देते हुए एक रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों को उनकी जागरुकता और आगे की कार्रवाई के लिए भेजी जाएगी।

इन्वेस्ट यूपी ने काल सेंटर के संचालन के लिए प्रदर्शन समीक्षा के आधार पर एक वर्ष की अवधि के लिए एजेंसी को चुनने का प्रस्ताव रखा है, जिसे एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस एजेंसी को एक टीम लीडर और आठ सदस्यों सहित कुल नौ सदस्यों की प्रस्तावित टीम को आबद्ध करना होगा। निवेशकों के प्रोत्साहन दावों की जांच के लिए एजेंसी चार्टर्ड अकाउंटेंट, वैल्यूअर्स, इंजीनियर्स व कंसल्टेंट्स की टीम को आबद्ध कर सकेगी। यह टीम निवेशक द्वारा किए गए पूंजी निवेश के सत्यापन और प्रमाणीकरण, निरीक्षण व भौतिक सत्यापन, व्यवहार्यता रिपोर्ट/ डीपीआर की जांच, स्थापित उत्पादन क्षमता व उसके क्षमता उपयोग के सत्यापन का मूल्यांकन करेगी।